

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (DDO), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।  
प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार ।  
अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार ।  
निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस० / निदेशक, आई०जी०आई०सी० /  
निदेशक, एस०आई०एच०एफ०डब्ल्यू०, शेखपुरा, पटना ।  
निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना / राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना  
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना ।  
निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना  
निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग, पटना ।  
निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना ।  
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ।  
सभी सिविल सर्जन, बिहार।  
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।  
अधीक्षक, सभी सदर एवं अनुमंडलीय अस्पताल।  
उपाधीक्षक, सभी अनुमंडलीय अस्पताल।  
उपाधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्थानीय औषधालय।  
सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी / जिला मलेरिया पदाधिकारी।  
सहायक निदेशक फायलेरिया, बिहार, पटना।  
अपर निदेशक-सह-नियंत्री पदाधिकारी, मलेरिया / कुष्ठ एवं यक्ष्मा।  
सभी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी।  
निदेशक, टी०बी०डी०सी०, पटना / दरभंगा।  
सभी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, बिहार।  
अधीक्षक, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, बेतिया।  
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया।  
अधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया।  
अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी।  
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना / गया।  
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रा०स्वा०केन्द्र / सभी रेफरल अस्पताल।  
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, विधायक अस्पताल, पटना।  
संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:-CFMS के Office Admin के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-9242 दिनांक-17.12.18 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पूर्व में CFMS के System Admin Module में कार्यालयों का Office Creation किया गया है। CFMS प्रणाली में System Admin Module को संशोधित करते हुए Office Admin Module को प्रारम्भ किया गया है। CFMS के System Admin Module में कार्यालयों से संबंधित की गयी प्रविष्टि में एकरूपता लाने एवं की गयी प्रविष्टि को त्रुटिहीन एवं पूर्ण बनाना अपेक्षित है।

2. पूर्व में **CFMS** में प्रविष्ट कार्यालयों से संबंधित डाटा, नये **Office Creation** से संबंधित प्रपत्र, नये **User (Office Admin) Creation** हेतु आवश्यक प्रपत्र (**KYU Form**) नये **Office** के **Creation** एवं पूर्व से किये गये **Office Creation** को सत्यापित करने से संबंधित **Guideline** एवं पूर्व प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत अनुदेश की प्रति संलग्न की जाती है ।

3. अनुरोध है कि पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में आप अपने एवं अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों के स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित कर संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उनके ई-मेल पर दिनांक-01 जनवरी, 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । पत्र के अनुपालन में कठिनाई होने पर **आई0टी0 मैनेजर के मोबाईल नं0 9470003044 / 9473242485 / 7909005618**

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

अनु0-यथोक्त ।

ह0/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर सह सदस्य, सी0एफ0एम0एस0 / पी0एफ0एम0एस0 / जेम-पोटल कोषांग, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों (सी0एफ0एम0एस0 / पी0एफ0एम0एस0 / जेम-पोटल कोषांग ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 120 (7)

पटना, दिनांक- 28-12-2018

प्रतिलिपि-निदेशक आयुर्वेद (DDO) आयुष निदेशालय, बिहार, पटना / सभी प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बिहार / अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना / प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषण निर्माणशाला, पटना / प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना / प्राचार्य, राजकीय होमियोपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर / सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार / उपाधीक्षक, दस शय्यायुक्त होमियोपैथी अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ । निदेशित है कि उपयुक्त प्रतिवेदन 01 जनवरी, 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

02  
28.12.2018

सरकार के संयुक्त सचिव ।